न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 266/13 (वाद)

GCMS No. : 2013/00308

1. श्री लक्ष्मणसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी थामला तहसील मावली।
2. श्रीमती दौलतकुंवर उर्फ सुखा कुंवर पत्नी गोविन्दसिंह राजपूत निवासी थामला तहसील मावली।
3. श्री यशवन्त सिंह पिता गोविन्दसिंह नाबालिग बविलाय माता श्रीमती दौलतकुंवर पत्नी गोविन्दसिंह राजपूत निवासी थामला तहसील मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री उदयसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी थामला तहसील मावली।
2. श्री बाबुसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी थामला तहसील मावली।
3. पटवारी, पटवार हल्का थामला तहसील मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसील मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री अनिल त्रिपाठी, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री नाथुलाल गर्ग, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 21.01.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा थामला पटवार हल्का थामला तहसील मावली की आराजी नम्बर 1542, 1543, 1547, 1548, 1631, 1632, 1665, 1666, 1667, 1669, 1672, 1677, 1679, 1681, 1683, 1697, 5704/1696 किता 17 कुल रकबा 41 बीघा 18 बिस्वा उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मुझ वादी के पिता रामसिंह पिता किशोरसिंह जी राजपूत निवासी थामला के नाम पर अंकित है और रामसिंह जी का स्वर्गवास दिनांक 02.09.2013 को हो गया हैं।
2. यह कि उक्त वर्णित भूमि पैतृक भूमि है और मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व दो के पिता/ससुर/दादा स्व. रामसिंह जी ने अपनी सम्पूर्ण कृषि भूमि का बंटवारा अपने जीवनकाल में ही करीबन 30 वर्ष पूर्व अपने सभी विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:30:06 IST
Reason: SelfAttested

वारिसान के मध्य कर दिया था जिस बंटवारानुसार मुझ वादी संख्या 1 के हिस्से में निम्न आराजीयात आई जिसका विवरण निम्न है

अ– वादी लक्ष्मणसिंह के हिस्से में आई जमीन आराजी नम्बर 1665, 1666, 1667, 1669, 1697 किता 5 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा।

ब– वादी संख्या 2 व 3 के पिता/पति स्व. गोविन्दसिंह जी के हिस्से में आई भूमि आराजी नम्बर 1697, 5784/1696 किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा। उक्त वर्णित भूमि पर हम वादीगण अपने पिता/ससुर/दादा के जीवनकाल से ही काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है और हमारे ही कब्जे उपभोग में है और इसकी पुष्टि में स्वयं स्व. रामसिंह जी ने अपने जीवनकाल में एक पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 16.07.2006 को स्टाम्प पर निष्पादित करवा उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये एवं उक्त पारिवारिक समझौता पत्र पर मुझ वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 व 3 के पिता/पति एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं अन्य मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाये गये और उक्त पारिवारिक समझौता पत्र में उक्त वाद में वर्णित भूमि एवं अपनी अन्य कृषि भूमियों में से हम वादीगण के हिस्से की भूमि जिसका विवरण वाद में किया गया है मुझ वादी संख्या 1 व प्रति संख्या 1 व 2 के पिता/पति को हिस्से में दी थी तभी से अर्थात विगत 30 वर्षों से उक्त हमारे हिस्से की भूमि पर हम काबिज हो काश्त करते आ रहे है और हमारे कब्जे उपभोग में है। उक्त भूमि को आवादान करने के लिए लाखो रूपये खर्च किये एवं परिवार सहित श्रम किया है एवं एक ट्यूबवेल खुदवाया। इसलिए उक्त वर्णित हम वादीगण के हिस्से व कब्जे की भूमि को अपने अपने नाम पर घोषित फरमा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकन करवाने के अधिकारी हैं।

3. यह कि उक्त वर्णित भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता/ससुर/दादा के नाम पर अंकित है जिनका स्वर्गवास दिनांक 02.09.2013 को हो गया है और मौके पर भी हम सहखातेदारान के मध्य उक्त भूमि का बंटवारा हमारे पिताजी ने अपने जीवनकाल में ही 30 वर्ष पूर्व कर दिया था और स्व. रामसिंह जी ने इसकी पुष्टि में एक पारिवारिक समझौता पत्र स्टाम्प पर दिनांक 16.07.2006 को निष्पादित कर उक्त वर्णित भूमि एवं [illegible] समस्त अन्य भूमियों में से अ, ब में वर्णित भूमि हम वादीगण को हिस्से में दी इसलिए उक्त अ, ब में वर्णित हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pundia
Date: 2025.04.22 17:30:06 IST
Reason: SelfAttested

भूमि का विकास करने में एवं बैंक से ऋण प्राप्त करने में भारी कठिनाई हो रही है इसलिए हम वादीगण उक्त सम्पूर्ण भूमि में से पूर्व के बंटवारा अनुसार कब्जे काश्त भूमि को अपने अपने हिस्से की 1/4—1/4 हिस्सा भूमि जिसका वर्णन वाद के अ, ब में किया गया है को स्वतन्त्र रूप से अपने अपने नाम पर घोषित करवाने के अधिकारी हैं। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में स्व. रामसिंह पिता किशोरसिंह जी के नाम पर अंकित है और मौके पर भी हम सहखातेदार के मध्य बंटवारा हमारे पिताजी रामसिंह जी ने अपने जीवनकाल में करीबन तीस वर्ष पूर्व ही कर दिया था परन्तु जब तक उक्त वर्णित भूमि का सभी सहखातेदारान के मध्य विधिक रूप से बंटवारा नहीं हो जाता तब तक कोई भी खातेदार उक्त वर्णित भूमि या आराजी विशेष भूमि किसी अन्य को नहीं बेच सकता है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भू माफिया लोगो से मिलीभगत कर उक्त वाद में वर्णित भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है जिसका इनको कोई विधिक अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त स्व. रामसिंह जी के नाम पर अंकित सम्पूर्ण खातेदारी की भूमि का बंटवारा स्व. रामसिंह जी ने अपने जीवनकाल में ही 30 वर्ष पूर्व ही अपने सभी वारिसो के मध्य कर दिया था जिस बंटवारा अनुसार हम वादीगण उक्त अ, ब में वर्णित हिस्सा भूमि पर काबिज है और हमारा कब्जा हो उपयोग उपभोग करते आ रहे है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को इस बात के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक हो गया कि वो उक्त वर्णित भूमि को वाद के निस्तारण तक किसी अन्य को विक्रय रहन बक्षीस नहीं करे और मौके व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे एवं हमें शांतिपूर्वक हमारे हिस्से व कब्जे की भूमि पर काश्त करने देवे इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन आदि से करावें।

4. यह कि वादीगण का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि उक्त वर्णित भूमि हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता/ससुर/दादा के नाम पर अंकित है और रामसिंह जी का स्वर्गवास हो चुका है और उक्त भूमि का बंटवारा हमारे पिताजी ने अपने जीवनकाल में ही 30 वर्ष पूर्व कर दिया था और स्व. रामसिंह जी ने इसकी पुष्टि में एक पारिवारिक समझौता पत्र स्टाम्प पर दिनांक 16.07.2006 को निष्पादित कर उक्त वर्णित भूमि में अ, ब में वर्णित भूमि को हम वादीगण को हिस्से में दी है और सुविधा संतुलन भी हमारे पक्ष में है क्योंकि हम वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.04.22 17:30:06 IST
Reason: SelfAttested

उक्त भूमि में से अपने हिस्से की 1/4–1/4 हिस्सा भूमि जिसका वर्णन अ, ब में किया गया है पर विगत 30 वर्षों से लगातार निरन्तर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की जानकारी में काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है परन्तु यदि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त भूमि का इसमें से आराजी विशेष भूमि को किसी अन्य को विक्रय रहन बक्षीस कर देगे और मौके से हमे बेदखल कर देगे तो इससे जो क्षति हम वादीगण को होगी उसका मूल्यांकन रूपयो पैसो में किया जाना असंभव है जबकि स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी।

5. यह कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण दिनांक 02.10.2013 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 से 2 उक्त वर्णित भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू हुए और उक्त भूमि को किसी को विक्रय करने की धमकी दी उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर जारी हैं।

6. अन्त में निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित भूमि का बंटवारा विधिक रूप से करवाया जाकर हम वादीगण के हिस्से की 1/4–1/4 हिस्सा भूमि जिसका वर्णन अ, ब में किया गया है को स्वतन्त्र रूप से हम वादीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकन फरमायी जावे व इसी अनुसार अलग से लगान जारी फरमाया जावे। हम वादीगण के हिस्से व कब्जे की 1/4–1/4 हिस्सा भूमि जिस पर हम वादीगण अपने पिताजी/दादा/ससुर के जीवनकाल से ही विगत 30 वर्षों से लगातार निरन्तर बिना किसी बाधा के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की जानकारी में काबिज हो काश्त करते आ रहे है और हमारे ही उपयोग उपभोग में है उक्त सम्पूर्ण अ, ब में वर्णित भूमि को हम वादीगण के नाम पर घोषित फरमाई जाकर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में स्वतन्त्र रूप से अंकन फरमाई जावे। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त वर्णित भूमि को ताफैसला वाद किसी अन्य को विक्रय रहन बक्षीस नहीं करे, न ही हम वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे और हम वादीगण को हमारे हिस्से व कब्जे की भूमि जिसका अंकन अ, ब में किया गया है उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जा करने देवे इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन आदि से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purnadia
Date: 2025.04.22 17:30:06 IST
Reason: SelfAttested

करवावे एवं प्रतिवादी संख्या 3 पटवारी साहब थामला उक्त वर्णित भूमि बाबत् कोई नामान्तरकरण किसी अन्य के पक्ष में नहीं खोले न रिकार्ड में अमल दरामद करे एवं ताफैसला वाद राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक भूमि है तथा उक्त कृषि भूमि पीढी दर पीढी वंशानुसार आगे की पीढीयों में चलती जा रही है। उक्त कृषि भूमि स्व. रामसिंह जी द्वारा न ही खरीदी गई थी तथा उक्त कृषि भूमि स्व. रामसिंह जी को अपने पिता श्री स्व. किशोर सिंह की मृत्यु के उपरान्त विरासत में प्राप्त हुई थी तथा स्व. रामसिंह जी द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि का कोई भी बंटवाडा नहीं किया गया और ना ही स्व. रामसिंह उक्त वर्णित कृषि भूमि के बंटवाडे करने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। उक्त कृषि भूमि में स्व. रामसिंह की पत्नी श्रीमती प्रतापकुंवर व 5 पुत्रीयों का भी अपने भाईयों के समान हक एवं हिस्सा हैं। इस कारण से वादीगण की उक्त कृषि भूमि को अपने नाम पर घोषित करवाने का कोई भी अधिकार नहीं रखते हैं। रामसिंह जी द्वारा उक्त वर्णित कृषि भूमि को अपनी स्वअर्जित आय से नहीं खरीदी थी और उक्त कृषि भूमि स्व. रामसिंह को विरासत में प्राप्त हुई थी इस कारण से उक्त कृषि भूमि का बंटवाडा करना और इसके सम्बन्ध में पारिवारिक समझौता निष्पादित करने का स्व. रामसिंह को कोई भी अधिकार नहीं था। स्व. रामसिंह के वारिसान में उनके 4 पुत्र ही नहीं बल्कि पत्नी एवं 5 पुत्रीया भी उक्त कृषि भूमि में बराबर की हिस्सेदार हैं।

8. यह कि विरासत से प्राप्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में स्व. रामससिंह के वारिसों में उनकी पत्नी 4 पुत्र एवं 5 पुत्रीया है। इस कारण से सभी वारिसों को उक्त कृषि भूमि में 1/10 हिस्सा है तथा पारिवारिक बंटवाडे अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से में जो जमीन आई है जिसमें भी वादीगणों ने बेईमानी पूर्वक स्व. रामसिंह जी के सभी 10 वारिसान का नाम खाते में दर्ज करवा दिया हैं। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने का कोई भी कार्य नहीं किया गया बल्कि वादीगण ही उक्त कृषि भूमि को बेचने पर आमादा हैं। अन्त में निवेदन किया कि वादी का वाद पत्र सव्यय खारिज फरमाने का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:30:06 IST
Reason: SelfAttested

9. प्रकरण में वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 जा.दी. (आपसी राजीनामा) का पेश कर निवेदन किया कि हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है। पूर्व में पारिवारिक समझौते के अनुसार परिशिष्ट अ आराजी नम्बर 1665 रकबा 9 बिस्वा, 1666 रकबा 11 बिस्वा, 1667 रकबा 10 बिस्वा, 1669 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, 1697 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा से दक्षिण की तरफ 05 बीघा 15 बिस्वा कुल 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि वादी संख्या 1 के हिस्से में निर्धारित की गई थी, परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 1197 रकबा 11 बीघा बिस्वा भूमि में से 5 बीघा 7 बिस्वा जमीन उत्तर दिशा वाला तथा आराजी नम्बर 5784/1696 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा जमीन कुल 11 बीघा 17 बिस्वा जमीन गोविन्दसिंह पिता रामसिंह जी राजपूत के हिस्से में आयी थी। वर्तमान में वादी संख्या 2 व 3 मृतक गोविन्दसिंह के वारिस पत्रावली पर मौजूद हैं, परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 1542 रकबा 8 बिस्वा उत्तर की तरफ वाला, 1545 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा उत्तर की तरफ वाला, 1672 रकबा 9 बिस्वा दक्षिण की तरफ वाला, 1679 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, 1681 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा दक्षिण की तरफ वाला, 1683 रकबा 6 बिस्वा दक्षिण की तरफ वाला, 1682 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा दक्षिण की तरफ वाला, 1589 रकबा 10 बिस्वा, 1591 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 1590 रकबा चाह कुआ में 1/4 हिस्सा कुल 12 बीघा 17 बिस्वा है। जो प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आयी थी। परिशिष्ट द में वर्णित आराजी नम्बर 154 रकबा 7 बिस्वा दक्षिण की तरफ, 1543 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा दक्षिण की तरफ, 1547 रकबा 7 बिस्वा दक्षिण की तरफ, 1631 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 1632 रकबा 7 बिस्वा, 1672 रकबा 9 बिस्वा, 1681 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 1683 रकबा 5 बिस्वा, 1682 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल 11 बीघा 19 बिस्वा जो कि प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से में आयी हैं। हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपरोक्त राजीनामें के अनुसार उक्त भूमि का बंटवाडा करने के लिए सहमत है तथा मौके पर इसी अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि में कब्जे एवं हिस्से अनुसार बंटवाडा करा कर उक्त वाद को निस्तारित करना चाहते है। वाद प्रस्तुत करते समय वाद वर्णित पारिवारिक समझौते के अनुसार आराजी नम्बर 1682, 1590, 1591, 1589, 1684 उक्त वर्णित भूमि वाद पत्र में अंकन होने से सेहवन से रह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purohit
Date: 2025.04.22 17:30:06 IST
Reason: SelfAttested

गये थे उक्त वर्णित भूमि में भी हम वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य वादग्रस्त भूमि के साथ–साथ बंटवाडा हो जाता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं हैं।

10. अन्त में निवेदन किया कि हम वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजीनामा तस्दीक किये जाने की कृपा करे तथा वादग्रस्त आराजीयात के अलावा राजीनामें वर्णित भूमि का भी बंटवाडा किया जावें।

11. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

12. हमने अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा थामला पटवार हल्का थामला तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2068 से 71 के खाता संख्या 404 पर दर्ज आराजी नम्बर 1542, 1543, 1547, 1548, 1631, 1632, 1665, 1666, 1667, 1669, 1672, 1677, 1679, 1681, 1683, 1697, 5704/1696 किता 17 कुल रकबा 41 बीघा 18 बिस्वा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के मौरूस रामसिंह पिता किशोरसिंह के नाम दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत 23 नियम 3 जा.दी. राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामा में अंकित परिशिष्ट अ, ब, स, द अनुसार आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज करवाना चाहते है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के मौरूस के नाम दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 अभी तक विरासत का नामान्तरकरण पारित नही करवा सीधे ही न्यायालय से राजीनामे के आधार पर प्रथक–प्रथक घोषणा करवाना चाहते है। नियमों में स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 के तहत विरासत का नामान्तकरण पारित राजस्व रिकॉर्ड में वारिसान का नाम अंकित किया जा सकता है। इस प्रकरण में उभय पक्षकारान को विरासत का नामान्तरकरण पारित करवाने के पश्चात ही राजीनामे अनुसार बंटवाड़ा करवाना चाहिए था। परन्तु वर्तमान में पक्षकारान द्वारा न्यायालय हाजा में राजीनाम प्र[illegible]ही दिया है तो प्रकरण में विरासत का नामान्तकरण करवा[illegible] पश्चात रा[illegible]मे अनुसार बंटवाड़ा किये जाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purohit
Date: 2025.04.22 17:30:06 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा. दी. राजीनामा एवं वाद वादीगण आशिंक स्वीकार योग्य पाये जाते है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. एवं वाद वादीगण आशिंक स्वीकार किये जाकर आदेश दिए जाते है कि मौजा थामला पटवार हल्का थामला तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2068 से 71 के खाता संख्या 404 पर दर्ज आराजी नम्बर 1542, 1543, 1547, 1548, 1631, 1632, 1665, 1666, 1667, 1669, 1672, 1677, 1679, 1681, 1683, 1697, 5704/1696 किता 17 कुल रकबा 41 बीघा 18 बिस्वा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के मौरूस रामसिंह पिता किशोरसिंह के नाम दर्ज हिस्सा भूमि के संबंध में रामसिंह पिता किशोरसिंह के वारिसान की जांच कर नियमानुसार विरासत का नामान्तरकरण पारित करे तथा विरासत का नामान्तकरण पारित करने के पश्चात संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. (राजीनामें) की प्रति अनुसार उभय पक्षकारान के मध्य बंटवाड़ा किया जावे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:30:06 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री लक्ष्मणसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी थामला तहसील मावली।
2. श्रीमती दौलतकुंवर उर्फ सुखा कुंवर पत्नी गोविन्दसिंह राजपूत निवासी थामला तहसील मावली।
3. श्री यशवन्त सिंह पिता गोविन्दसिंह नाबालिग बविलाय माता श्रीमती दौलतकुंवर पत्नी गोविन्दसिंह राजपूत निवासी थामला तहसील मावली।

...........वादीगण

बनाम्

1. श्री उदयसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी थामला तहसील मावली।
2. श्री बाबुसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी थामला तहसील मावली।
3. पटवारी, पटवार हल्का थामला तहसील मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसील मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 जा.दी.

मुकदमा न0 : 266/13 (वाद) GCMS No. – 2013/00308

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

परिणामस्वरूप उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. एवं वाद वादीगण आशिंक स्वीकार किये जाकर आदेश दिए जाते है कि मौजा थामला पटवार हल्का थामला तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2068 से 71 के खाता संख्या 404 पर दर्ज आराजी नम्बर 1542, 1543, 1547, 1548, 1631, 1632, 1665, 1666, 1667, 1669, 1672, 1677, 1679, 1681, 1683, 1697, 5704/1696 किता 17 कुल रकबा 41 बीघा 18 बिस्वा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के मौरूस रामसिंह पिता किशोरसिंह के नाम दर्ज हिस्सा भूमि के संबंध में रामसिंह पिता किशोरसिंह के वारिसान की जांच कर नियमानुसार विरासत का नामान्तरकरण पारित करे तथा विरासत का नामान्तकरण पारित करने के पश्चात संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. (राजीनामें) की प्रति अनुसार उभय पक्षकारान के मध्य बंटवाड़ा किया जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.03.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:30:06 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली